

—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email —dfo-latehar@gov.in

Mobile No. — 9470305806/8987790240

Pin Code - 829206

पत्रांक...../लातेहार, दिनांक...../

सेवा में,

सहायक प्रबंधक,
नोर्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लिमिटेड,
सुनिता सदन प्रथम तल्ला आश्रम मार्ग, बारियातु,
मिलिट्री फायरिंग रेंज के नजदीक, जिला—राँची (834009)

विषय :— नोर्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लिमिटेड का 400 के0भी/डी0सी0 नोर्थ कर्णपुरा से गया तक ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक NKTL(s)/2020-21/F69 दिनांक 24.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि नोर्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लिमिटेड का 400 के0भी/डी0सी0 नोर्थ कर्णपुरा से गया तक अधिसूचित वन भूमि 8.5899 हे., जंगल झाडी 6.769 हे. कुल 15.3589 हे. के अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त है। इस प्रस्ताव के जॉचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ/कमियाँ पायी गयी :—

01. प्रस्ताव में अपयोजित होनेवाले गैर मजरूआ जंगल—झाडी भूमि का उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है, इसे नौ प्रतियों में संलग्न किया जाय।
02. प्रस्ताव अंतर्गत अपयोजित होने वाली संपूर्ण वन भूमि में उपलब्ध वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है, इसे नौ प्रतियों में संलग्न किया जाय।
03. अपयोजित होनेवाली वन भूमि का KML File Soft Copy में संलग्न नहीं है, इसे नौ प्रतियों में संलग्न किया जाय।
04. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त, लातेहार का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है, इसे नौ प्रतियों में संलग्न किया जाय।
05. वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा की कॉपी संलग्न नहीं है, इसे नौ प्रतियों में संलग्न किया जाय।
06. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या 05/स0भू0 लातेहार (विविध)—181/18 (छाया संचिका)—4715 दिनांक 27.11.2018 के बिन्दु तीन के आलोक में कैडस्ट्रल सर्वे (C.S) के आधार पर लैंड शिड्यूल नहीं होने पर उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र (प्रपत्र—1) एवं आपके स्तर से निर्गत

—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email —dfo-latehar@gov.in

Mobile No. — 9470305806/8987790240

Pin Code - 829206

वचनबद्धता पत्र (प्रपत्र-2) नौ प्रतियों में समर्पित करें (सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न)।

07. प्रस्ताव में अंचल-बारियातु के सिबला गाँव में थाना संख्या 44, प्लॉट संख्या 1699, रकबा 0.004 हे० अधिसूचित वन भूमि को जंगल-झाड़ी दिखाया गया है, इसे नक्शा में सुधार करना आवश्यक है।

08. समर्पित प्रस्ताव में RS (हाल सर्वे) के आधार पर नक्शा एवं लैंड शिड्यूल समर्पित किया गया है। इसे CS (कैडस्ट्रल सर्वे) के आधार पर नक्शा एवं लैंड शिड्यूल नौ प्रतियों में समर्पित किया जाय।

उपरोक्त पायी गयी त्रुटियाँ/कमियाँ का निराकरण यथाशीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक 999 / दिनांक 31/8/2020 /

प्रतिलिपि :- 01 मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, पलामू को सूचनार्थ समर्पित।

02 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर को सूचनार्थ समर्पित।

03 प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।